न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/194

1. नूरी बेवा अमीर मोहम्मद उर्फ अमीरा जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा (नाम तर्क) ।
2. बशीर मोहम्मद पुत्र अमीर मोहम्मद उर्फ अमीरा जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. मुश्ताक पुत्र अमीर मोहम्मद उर्फ अमीरा जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. मंसूर अली पुत्र अमीर मोहम्मद उर्फ अमीरा जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. हुसेनी पुत्री अमीर मोहम्मद उर्फ अमीरा जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. रजिया पुत्री अमीर मोहम्मद उर्फ अमीरा जाति मुसलमान निवासी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. दी स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर पालिका कैथून जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री भगवती बल्लभ शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से ।
3. श्री दीपक शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 02 की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 14.02.2023

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 92ए, एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला की खसरा नम्बर 1413, 1414 तथा 1420 व 1417 की 08 बीघा भूमि प्रार्थिया नूरी बेवा अमीर मोहम्मद के कब्जे काश्त में चली आ रही है । प्रार्थीगण की आराजी को चारागाह बजंड में सहवन से दर्ज कर दिया है जो सेटलेंट की त्रुटि के कारण हुआ है । वादीगण वादग्रस्त आराजी को पुनः अपने खातेदारी में दज कराने के अधिकारी हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करें तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 05.07.2022 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2022 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्राथमिक बिन्दु प्रथमदृष्टया प्रकरण को समझा ही नहीं केवल मात्र नगरपालिका कैथून के विवादित भूमि खाते में होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं माना, जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों में प्रथमदृष्टया केस केवल एवं केवल वीद अपीलान्ट द्वारा वाद में उठाये गये कानून के सारवार तथ्य हैं जिनका निस्तारण पक्षकारों की साक्ष्य के उपरान्त ही हो सकता है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं मानकर त्रुटि की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पूर्व में खातेदार मोहम्मद खॉ पुत्र नन्हे खॉ जाति मुसलमान के कब्जे काश्त में थी । उक्त आराजी मोहम्मद खॉ के बेटे अहमद खॉ वल्द मोहम्मद खॉ ने अमीर मोहम्मद पुत्र चॉद मोहम्मद को तारीख 17.05.1951 को 300/– रूपये में बेचकर गवाहान की उपस्थिति में कब्जा संभला दिया था जो वैध कब्जे बाबत् महत्वपूर्ण प्रमाण है । खसरा नम्बर 1419 जिसमें कुआ 50 वर्ष पूर्व से खुदा हुआ है जिसमें मोटर लगी है इसी से सिंचाई होती है । किसी के खाते की जमीन को सेटलमेंट द्वारा चारागाह बंजड में निकालने का कोई वैध अधिकार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अस्थायी निषेधाज्ञा के प्राथमिक बिन्दु

प्रथमदृष्टया प्रकरण को समझा ही नहीं केवल मात्र नगरपालिका कैथून के विवादित भूमि खाते में होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं माना, जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयों में प्रथमदृष्टया केस केवल एवं केवल वीद अपीलान्ट द्वारा वाद में उठाये गये कानून के सारवार तथ्य हैं जिनका निस्तारण पक्षकारों की साक्ष्य के उपरान्त ही हो सकता है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं मानकर त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी के मध्य खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के गैर खातेदारी में आज भी दर्ज है जो अपीलान्ट की भूमियों का अभिन्न अंग हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टियॉ खण्डनीय अवधारणा है । अपीलान्ट के लगातार कब्जे को प्रोटेक्ट करने के लिए धारा 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रावधान जिनकी विवेचना किये बिने निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 निरस्त फरमाया जाकर ताफैसला वाद अपीलान्ट के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरबीजे 2019 पेज 196, आरआरटी 2022 (1) पेज 418, आरआरटी 2022 (2) पेज 892, आरएलआर 1988 (1) पेज 850, आरबीजे 2019 पेज 130 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये ।

8. रेस्पोडेन्ट कम 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 976 हाल खसरा नम्बर 1415 एवं 1417 चारागाह दर्ज है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह की भूमि का आवंटन/नियमन प्रतिबन्धित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 बहाल रखा जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट कम 2 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1413, 1414 एवं 1420 वर्तमान में नगरपालिका के खातेदारी में दर्ज है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील के साथ फोटो प्रति विक्रय पत्र (शपथ पत्र चार आनरा) दिनांक 17.05.1951 संलग्न है । परन्तु खसरा नम्बर की स्थिति इससे स्पष्ट नहीं है । फोटो प्रति नकल खाता संवत् 2000 से 2003 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 2963/989 रकबा 14 बिस्वा मोहम्मद बेटा नन्नेखॉ जाति मुसलमान (पठान) के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति नकल खाता संवत् 2000 से 2003 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम कैथून की आराजी खसरा नम्बर 2961/989 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 2962/989 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि चॉद खॉ बेटा छोटे खॉ जाति मुसलमान (पठान) के खातेदारी में दर्ज है । फोटो प्रति मिलान क्षेत्रफल संवत् 2016 से 2024 संलग्न है । फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत्

2028 से 2031 संलग्न है। फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2032 से 2035 संलग्न है । फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 संलग्न है । फोटो प्रति नकल नक्शा ट्रेस संलग्न है । इसके अलावा फोटो प्रति नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2059 (रबी), फोटो प्रति नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2069 से 2072 जिसके अनुसार खसरा नम्बर 1421 रकबा 0.16 हैक्टर बशीर मोहम्मद, मुश्ताक अहमद, मंसूर अली पुत्रान अमीर हुसैनी, रजिया पुत्रियॉं अमीर व नूरी बेवा अमीर हिस्सा बराबर कौम मुसलमान मेवाती साकिन देह गैर खातेदार दर्ज है । फोटो प्रति नामान्तरकरण संख्या 1574 दिनांक 28.03.2013 संलग्न है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध संवत् 2038 से 2057 संलग्न है जिसके अनुसार खाता संख्या 210 में खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415, 1416 एवं 1417 राजस्थान सरकार चारागाह दर्ज है ।

11. इस सम्बन्ध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध होना नहीं पाया गया । अपीलान्ट का कथन है कि वर्ष 1943–46 तक ग्राम कैथून की खसरा नम्बर 2963/989 की 14 बिस्वा भूमि पर मोहम्मद बेटा नन्हे खॉं तथा खसरा नम्बर 2961/989 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 2962/989 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर चॉंद खॉं बेटे छोटे खॉं खातेदार काबिज काश्त थे । उक्त कथन के साथ अपील में नकल खाता संख्या 2000 से 2003 से संलग्न की है । अपीलान्ट के कथनानुसार प्रथम सेटलमेंट के दौरान उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 975 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 976 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा बने हैं तथा खसरा नम्बर 975 के नवीन (वर्तमान) खसरा नम्बर 1413 व 1414 व खसरा नम्बर 976 के नवीन (वर्तमान) खसरा नम्बर 1420 बनाना बताया है । संलग्न मिलान क्षेत्रफल संवत् 2016–24 के अनुसार खसरा नम्बर 975 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा के गत खसरा नम्बर 988 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 976 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा के गत खसरा नम्बर 989 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा बने हैं एवं संलग्न मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 के अनुसार खसरा नम्बर 975 के वर्तमान खसरा नम्बर 1413 व 1414 तथा खसरा नम्बर 976 के वर्तमान खसरा नम्बर 1420 व 1421 बने हैं । इस प्रकार प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल अनुसार अपीलान्ट की कथित आराजी खसरा नम्बर 975 के भू–प्रबन्ध संवत् 2016–24 से पूर्व के खसरा नम्बर 988 बने हैं । खसरा नम्बर 988 प्रार्थी अपीलान्ट के खातेदारी में कभी रहा हो, ऐसा कोई राजस्व दस्तावेज हमारे समक्ष नहीं है । साथ ही खसरा नम्बर 976 के भू–प्रबन्ध संवत् 2016–24 से पूर्व के खसरा नम्बर 989 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा बने हैं, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत नकल खाता संख्या 2000–2003 के अनुसार खसरा नम्बर 2963/989 की 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 2962/989 की 03 बीघा 06 बिस्वा व खसरा नम्बर 2962/989 की 01 बीघा 04 बिस्वा कुल 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि होती है तथा मिलान क्षेत्रफल अनुसार मूल खसरा नम्बर 989 का कुल रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा किया गया है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के कथन अनुसार 2961/989, 2962/989, 2963/989 को मूल खसरा नम्बर 989 का भाग भी मान लिया जावे तो मूल खसरा नम्बर 989 का कुल रकबा में भिन्नता होने तथा नम्बरों का पूर्णतः मिलान नहीं होने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती है । हालांकि इस सम्बन्ध में पूर्ण स्थिति वाद में स्पष्ट तय होगी । रेस्पोडेन्ट व अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब आने पर ही सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो पाएगी । अपील के साथ संलग्न नकल खसरा परिवर्तनशील संवत् 2059 (रबी) के अनुसार खसरा नम्बर 1413, 1414, 1415 किस्म चारागाह 1420 व 1417 किस्म चारागाह पर नूरी बेवा अमरी मोहम्मद को अतिकमी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की

धारा 16 में चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने पर प्रतिबन्ध है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा स्वयं के पक्ष के अंकित आराजी खसरा नम्बरों का हाल खसरा नम्बर से स्पष्टता का अभाव होने से प्रथमदृष्टया प्रकरण अपीलान्ट अपने पक्ष में साबित नहीं पाया जाता है । वर्तमान में रेस्पोडेन्ट कम 02 भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं तो सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी अपीलान्ट प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होती है । अपीलान्ट न तो वर्तमान में भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार हैं तथा भूमि की किस्म चारागाह है, ऐसी स्थिति में अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी अपीलान्ट के पक्ष में नहीं है । हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत प्रतीत होता है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2022 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा